

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 603
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक- 15-06-18

प्रार्थी श्री देवीलाल पि० हामजा :: निर्णय ::

जति मीना उम्र 44 नि० 9454 तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदाजत 94/6 दिनांक 15-06-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले0र0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा वसुखा पंचायत समिति

वसुखा में स्थित खाता संख्या 201 पर आराजी नं० 416 कुल 1 बीघा 1 बिस्वा किता 1 योग रकबा 7 बिस्वा प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आवे दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगडी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी मैरा नि० 941 ने भी पत्थरगडी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम वसुखा के खसरा नं० 417 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 9 बिस्वा की जमाबंदी सन्वत् 2070-73 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अपलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा वसुखा में स्थित खाता संख्या 201 पर आराजी नं० 416 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 7 बिस्वा की पत्थर गडी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा वसुखा में स्थित खाता संख्या 201 पर आराजी नं० 416 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 7 बिस्वा विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू0अ0 निरीक्षक गजदीन के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गडी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगडी शुल्क रू० 300 प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगडी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर